वर्ष 7 अंक 43 | मरुनायक | उदयपुर | मंगलवार 13 जुलाई, 2004 | श्रावण कृष्ण-11, 2061 | मूल्य 2.50 रु. | कुल पृष्ठ 16

# दैनिक भास्कर

## पर्यटन को बढ़ावा

- होटलों में विलासिता कर 10 से घट कर 8 प्रतिशत
- जयपुर में जलमहल क्षेत्र पर्यटन संकुल बनेगा, उदयपुर में रोप-वे, जयपुर में अंतरराष्ट्रीय कंवेंशन सेंटर, गोल्फ रिसोर्ट एवं अलवर में तिजारा फ्रेट को पर्यटन इकाई बनाया जाएगा।
- आमेर दुर्ग के लिए मास्टर प्लान।
- हाड़ौती में पर्यटन विकास के लिए योजना।
- अजमेर में दरगाह, पुष्कर, श्रीमहावीरजी, नाथद्वारा, रणकपुर व रामदेवरा का विकास।
- प्राचीन स्मारकों का निजी क्षेत्र की सहभागिता से विकास के लिए एडीप्ट ए मोन्यूमेंट योजना।
- आध्यात्मिक पर्यटन के लिए 108 मंदिरों का चयन।
- अपना धाम, अपना काम, अपना नाम योजना पर अमल।

पहली महिला वित्तमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोमवार को पेश राजस्थान के परिवर्तित बजट में किसी वर्ग को निराश नहीं किया। कर वसूली में व्यापारियों की असुविधा कम करते हुए सरचार्ज और टर्नओवर टैक्स समाप्त करने की घोषणा की। इसके साथ ही बिक्रीकर की दरों को तर्कसंगत बनाने और स्टांप शुल्क में कमी की घोषणा भी उन्होंने की।

# शहरों से ढाणियों तक राहतों का दरिया

## सरचार्ज और टर्नओवर टैक्स समाप्त, स्टाम्प शुल्क में छूट

जयपुर, 12 जुलाई (विसं)। वर्ष 2004-05 के बजट में 334 करोड़ 39 लाख रुपए का घाटा बताया गया है जिसे वसुंधरा राजे ने बेहतर वसूली से कम करने का इरादा दर्शाते हुए सिर्फ एक एमआरपी कर लगाया। बिक्रीकर की दरों में राहत देने के साथ ही मुख्यमंत्री ने किसानों, महिलाओं व आम आदमी के लिए राहतों का पिटारा खोल दिया। उनके बजट में अगले कुछ महीनों में होने वाले पालिका और पंचायत चुनावों की छाया साफ नजर आ रही थी। पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने विलासिता कर 10 से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया है। इसके साथ ही भूमि व भवन कर की बकाया 94 करोड़ की वसूली के लिए दो योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं।

**दो घंटे 16 मिनट बगैर पानी पिए लगातार बोलीं वसुंधरा**

**स्टाम्प शुल्क :** मुख्यमंत्री ने स्टाम्प शुल्क में कमी करके उम्मीद जताई है कि इससे अधिक लोग अपने मकानों की रजिस्ट्री कराने आएंगे। उन्होंने घोषणा की कि अचल संपत्ति की बिक्री, लीज ट्रांसफर आदि पर लिए जाने वाला स्टाम्प शुल्क अब 11 के बजाय 8 प्रतिशत होगा। तीन या अधिक मंजिला इमारत में एक मंजिल या फ्लैट खरीदने पर स्टाम्प शुल्क 11 की बजाय 8 प्रश लगेगा। पांच साल में होने वाले पहले हस्तांतरण पर शुल्क पांच प्रतिशत, दूसरे पर चार प्रतिशत और उसके बाद के बेचान पर 3 प्रतिशत लिया जाएगा। बजट में वाहन विक्रय प्रमाणपत्र को पूरी तरह शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। अब तक महिला संबंधी के पक्ष में संपत्ति करने पर रियायत मिलती थी अब बजट में पुरुष रिश्तेदारों सगे भाई, बेटे, पोते, पिता, पति के पक्ष में दान-पत्र निष्पादित करने पर भी स्टाम्प शुल्क 11 से घटकर 5 प्रतिशत किया गया है। पॉवर ऑफ अटार्नी के मामले से संबं ▶▶ शेष पेज 11 पर

## किसान खुश...

- ब्याज व दंडनीयता ब्याज पर कर 4.6 से घटाकर 4 प्रतिशत
- बिक्रीकर बीजों पर बिक्रीकर समाप्त, दवा पर घटाया
- कपास, ऊन, सूत धागा, सूत धागों पर कर 4.6 से घटाकर 2 प्रश
- हथकरघा, हस्तशिल्प, हैण्डलूम और खेलकूद वस्तुओं पर सिंचाई कर की फसली अवधि तक स्थगित। इन चीजों पर 2001-02-03 का बकाया डिमांड कर दिया
- खाद कारखाने, इस्पाकोर्ट एवं कोर कर को [illegible]
- वाटर प्यूरिफायर एवं आयात [illegible]
- सेनेटरी वेयर्स, पुर्जे, [illegible]
- लाईट [illegible]
- कृषकों [illegible]

## गृहिणी के बटुए में बचेगी रकम

- वसुंधरा बे गृहिणी के बटुए का खयाल रखा। स्टोई गैस, किरासा, सूखे मेवे और बेबी फूड की कर दर कम की
- तटल मेवे जैसे फलों का शर्बत एवं रस, जैम, चटनी, मुरब्बा और पैक किए गए नमकीन पर कर की दर 16.4 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रश, सिलाई मशीनों पर कर 8 से घटकर 4 प्रश।

## वसुंधरा ने वरिष्ठ नागरिकों की भी सुनी

- 65 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज किराए में 30 फीसदी की छूट
- राज्य की वृद्धजन नीति बनेगी और बोर्डियों के अनुरूप विभागों के कार्यक्रम बनेंगे

## ग्रामीणों, आदिवासियों को चिकित्सा सुविधा

- हर ब्लाक में एक आदर्श स्वास्थ्य केन्द्र
- मरु क्षेत्र में 461 स्वास्थ्य उपकेन्द्र
- आदिवासी बाहुल्य पांच जिलों में 1119 अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता।
- जनजाति, मरु क्षेत्र में संजीवनी योजना आदिवासी जिलों में स्वस्थिका कार्यक्रम
- बीकानेर, कोटा, उदयपुर, अजमेर व जोधपुर में न्यूरोसर्जरी सुविधाएं
- आयुर्वेद विवि में नए डिप्लोमा कोर्स।
- 35 नए आयुर्वेद और 10 नए यूनानी औषधालय खुलेंगे
- आयुर्वेद औषधियों के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी से हर्बल गार्डन

## मातृत्व झलका दाइयों का भी खयाल

दो सौ स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर प्रसव गृहों का निर्माण, 5 लाख की जनसंख्या पर एक विशिष्ट आपातकालीन प्रसूता इकाई, 1 लाख की जनसंख्या पर एक आधारभूत आपातकालीन प्रसूति इकाई, 10,000 पारंपरिक दाइयों का प्रशिक्षण।

बजट विशेष देखें : पेज 2, 9, 10, 15 व 16